D 2018/00112

रिपोर्ट पटवारी ईटडिया

सेवा में,
ग्राम - ईटडिया के खाता सं. 149 में खाती का नाम परसा है। जबकि खाती के आधार कार्ड में खाती का नाम परसालाल है।
अतः उक्त खाते में खाती का नाम परसा के बजाय परसालाल दर्ज किया जाना उचित है।

10.5.18
(हरिराम माली)
पटवारी, प.ह. ईटडिया
तह. फूलियाकलाँ (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्यायआपकेद्वार-201

रिपोर्ट भू.अ.निरी.

रिपोर्ट पटवारी स्पष्ट एवं सही है। उपरोक्तानुसार जाति /नाम/हिस्सा दुरस्त करने की अनुशंषा की जाती है।

तहसीलदार
फूलियाकलाँ, जिला भीलवाड़ा
हस्ताक्षर भू.अभि.निरी.

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

प्र.क्र. 120/18 क्र.पत्र आदेश केस- ईटडिया दि. 10-5-18

इस रिपोर्ट तहसीलदार फूलियाकलां के ग्राम ईटडिया की जमाबन्दी संवत 2072 से 75 के खाता नं. 149 में खाती परसा के स्थान पर परसालाल दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।
पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजा जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

तहसीलदार
फूलियाकला जिला भीलवाडा